566

डेयर/भाकृअनुप वार्षिक रिपोर्ट 1995–96

ICAR LIBRARY
KAB/AR/1555

सत्यमेव जयते
कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
कृषि मंत्रालय
भारत सरकार

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
भाकृअनुप
ICAR

566

डेयर/भाकृअनुप
वार्षिक रिपोर्ट
1995–96

ICAR LIBRARY
KAB/AR/1555

सत्यमेव जयते

कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
कृषि मंत्रालय
भारत सरकार

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

भाकृअनुप
ICAR

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

अध्यक्ष	डा. बलराम जाखड़ कृषि मंत्री	(17.1.1996 तक)
	डा. जगन्नाथ मिश्र कृषि मंत्री	(8.2.1996 से)
उपाध्यक्ष	कैप्टन अयूब खान कृषि राज्य मंत्री	(22.9.1995 से)
महानिदेशक	डा. आर.एस. परोदा सचिव कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	
सचिव	श्री जी.एस. साहनी संयुक्त सचिव कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	
वित्तीय सलाहकार	श्री एन. पार्थसारथी वित्तीय सलाहकार, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	

प्रस्तावना

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देश में कृषि अनुसंधान, शिक्षा और अग्रिम पंक्ति की प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण के लिए एक सर्वोच्च संगठन है। इसने भारतीय कृषि को एक मजबूत आधार प्रदान किया है, जिससे वर्ष 1994-95 के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन 19 करोड़ 20 लाख टन से भी अधिक हुआ और तिलहनों की 2 करोड़ 10 लाख टन से अधिक रिकार्ड उत्पादन के साथ उत्पादकता में वृद्धि हुई। आज हमारे पास खाद्यान्नों का 3 करोड़ 60 लाख टन भारी भण्डार है, जो कि अब तक का सबसे ऊंचा रिकार्ड है। इसके अलावा लगभग 50 लाख टन गेहूं और चावल का निर्यात भी किया जा रहा है।

वर्ष 1994-95 के दौरान कृषि उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले सभी फसलों में 4.58 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह एक असाधारण बात है, क्योंकि फसल उगाये जाने वाले क्षेत्र में केवल 0.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। उत्पादन में यह वृद्धि अधिकांशतः बढ़ी हुई उत्पादकता के कारण हुई। कुल खाद्यान्न उत्पादन में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि फसल क्षेत्र में केवल 0.6 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई थी। अखाद्यान्न वाले क्षेत्र के उत्पादन में 6.37 प्रतिशत की वृद्धि हुई, यद्यपि फसल क्षेत्र में विरोधाभास स्वरूप 1.1 प्रतिशत की कमी हुई। गेहूं के उत्पादन में 9.4 प्रतिशत, रेशा उत्पादन में 12.69 और गन्ना उत्पादन में 18.10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तिलहन क्षेत्र में निर्यात से 2463.35 करोड़ रुपये की आमदनी हुई। यह कृषि वैज्ञानिकों, विकास से जुड़े कर्मचारियों और इन सबसे ऊपर भारतीय किसानों की कड़ी मेहनत के जबरदस्त योगदान का प्रबल प्रमाण है।

डेरी क्षेत्र तेज गति के साथ आगे बढ़ा है और वर्ष 1994-95 के दौरान 6 करोड़ 30 लाख टन से ऊपर रिकार्ड दुग्ध उत्पादन को प्राप्त किया गया। देश में कुक्कुटपालन क्षेत्र ने भी निरन्तर तेज वृद्धि दर्शायी। पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अनुसंधान और टीकों के विकास को इस वर्ष आवश्यक बढ़ावा दिया गया है। मछली पालन के क्षेत्र में वर्ष 1994-95 के दौरान कुल मछली उत्पादन 47.9 लाख टन हुआ, जबकि वर्ष 1993-94 के दौरान कुल उत्पादन 46.44 लाख टन हुआ था, इस प्रकार 3.06 प्रतिशत की वार्षिक बढ़वार दर्ज की गई। यह 1994-95 का ही वर्ष था जब भारत ने 3 लाख टन के रिकार्ड निर्यात के साथ पहली बार मछली और मछली उत्पादों के निर्यात से विदेशी मुद्रा के रूप में एक अरब अमरीकी डालर के लक्ष्य से अधिक आमदनी अर्जित की। जलजन्तु पालन की संभावना को पहले ही बढ़ाया जा चुका है। मोती संवर्धन और ताजा जल झींगा संवर्धन की प्रौद्योगिकियों का विस्तार किया गया है, ताकि उद्यमियों द्वारा इन्हें अपनाया जा सके। इसी प्रकार से घरेलू खपत के साथ-साथ आयात विकल्प के लिए नवीनतम उत्पाद का विकास करने तथा भोजन और दवा में इस्तेमाल करने के लिए मछली अपशिष्ट के निर्यात पर उद्योग द्वारा भारी निवेश किया जा रहा है।

चावल की 25 किस्मों को अधिसूचित और जारी किया गया। इनमें 7 बारानी उपराऊं भूमि के लिये हैं और 2 निर्यात वाली बढ़िया श्रेणी की किस्में हैं। साथ ही तापमान सहिष्णु आनुवंशिक नर-बंध्यता प्रणाली के देसी स्रोतों का भी पता लगाया गया है। इससे चावल और इसके संकरण का कार्यक्रम मजबूत आधार पर आ खड़ा हुआ है। संकर

अनुसंधान कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं में 6 मक्का की संकर किस्मों को जारी करना और ज्वार की संकर किस्म 'सी.एस.एच.-12 आर' जो तना बेधक मक्खी और काष्ठ-गलन रोग प्रतिरोधी है, को जारी करना शामिल है। इसी प्रकार 'बेबी कार्न' के उत्पादन के लिए मक्का की 2 किस्मों की पहचान की गई है। फसलों में विविधता के प्रयासों का संकेत एमर गेहूं की सर्वप्रथम किस्म 'डी.डी.के.-1001' के विकास से मिला है। बारानी और आदिवासी क्षेत्रों के लिये मोटे अनाज महत्वपूर्ण हैं और इनके विकास पर अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है। फलस्वरूप बाजरा के 6 संकर, मंडुआ की 3 किस्में और कोदों की एक किस्म का सफलतापूर्वक विकास किया गया है।

बागवानी क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं। आम की 'अर्का नीलकिरन' संकर किस्म जारी की गई, जो नियमित फल देती है और इसमें 67 प्रतिशत गूदा है। इसी प्रकार टमाटर का 'पूसा संकर 1' 'टमाटर प्यूरी' बनाने के लिये उत्तम है, लीची की तड़करोधी किस्म 'स्वर्ण रुपा', अधिक जीवन काल और कम बीज वाला संकर शरीफा 'अर्का सोहन', अधिक उपज और बढ़िया फल वाला पपीता 'सी.पी.-91' तथा भारी-भरकम गिरि वाला काजू 'प्रियंका' जारी किये गये हैं, जो उत्साहवर्द्धक संकेत देते हैं।

इस रिपोर्ट में परिषद की 1995-96 वर्ष की उपलब्धियों और नई दिशाओं पर प्रकाश डाला गया है। आशा है कि रिपोर्ट में दी गई सूचनायें, छात्रों, अनुसंधानकर्ताओं, नीति निर्धारकों तथा विकास कार्मिकों आदि सभी के लिए समान रूप से उपयोगी साबित होंगी।

(जगन्नाथ मिश्र)
अध्यक्ष, भा.कृ.अनु.प. सोसायटी
तथा कृषि मंत्री

विषय सूची

1.	परिचय	1
	सिंहावलोकन	3
2.	प्रमुख अनुसंधान उपलब्धियां	18
	फसल विज्ञान	19
	बागवानी	56
	मृदा, सस्य विज्ञान और कृषि वानिकी	72
	कृषि इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी	90
	पशु विज्ञान	94
	मात्स्यिकी	112
	कृषि अर्थशास्त्र, सांख्यिकी और विपणन	120
	कृषि शिक्षा	124
	प्रौद्योगिकी हस्तांतरण	130
3.	जनजाति और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अनुसंधान	136
4.	अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	144
5.	प्रकाशन और सूचना	154

परिशिष्ट

डेयर

1.	भारत सरकार (कार्य का बंटवारा) नियम-द्वितीय अनुसूची (नियम-3)	161
2.	पदों की कुल संख्या और प्रमुख पदाधिकारियों के नाम	162
3.	वित्तीय आवश्यकताएं (अनुदान सं. 3)	164

भा.कृ.अनु.प.

1.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसायटी	166
2.	शासी निकाय	175
3.	स्थायी वित्त समिति	177
4.	मानदंड एवं प्रत्यायन समिति	178
5.	क्षेत्रीय समितियां	179
6.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय के अधिकारीगण	187
7.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान	189
8.	राष्ट्रीय ब्यूरो	192
9.	प्रायोजना निदेशालय	193
10.	राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र	194
11.	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाएं	196
12.	पी.एल.-480/अमरीका-भारत निधि (यू.एस.आई.एफ.) के अन्तर्गत चल रही अनुसंधान प्रायोजनाएं	201
13.	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजनाएं	206
14.	विद्यमान सेवामुक्त वैज्ञानिक, राष्ट्रीय फैलो एवं राष्ट्रीय प्रोफेसर	222
15.	ग्रीष्म संस्थान	223
16.	राज्य कृषि विश्वविद्यालय	226
17.	भा.कृ.अनु.प. और इसके अनुसंधान संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या	228
18.	कृषि विज्ञान केंद्र और प्रशिक्षक प्रशिक्षण केंद्र	229
19.	पुरस्कार	246

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रमुख लक्ष्य

1. कृषि, कृषि वानिकी, पशुपालन, गृह विज्ञान और संबंधित विज्ञानों में शिक्षा, अनुसंधान और उसके अनुप्रयोग के लिए योजना बनाना, क्रियान्वयन करना, सहायता देना, बढ़ावा देना और समन्वय करना।

2. कृषि, पशुपालन, मछली पालन, गृह विज्ञान और संबंधित विज्ञानों पर आधारित अपने प्रकाशनों और सूचना प्रणाली के द्वारा अनुसंधान और सामान्य सूचना का प्रचार-प्रसार कार्य करना तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम तैयार करना और बढ़ावा देना।

3. कृषि, कृषि वानिकी, पशुपालन, मछली पालन, गृह विज्ञान और संबंधित विज्ञानों में शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण और सूचनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए परामर्श सेवाएं देना, क्रियान्वयन करना और बढ़ावा देना।

4. कृषि, कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी और ग्रामीण विकास के व्यापक क्षेत्रों की समस्याओं पर ध्यान देना और इसके लिए अन्य संस्थाओं जैसे भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र और विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर साझा कार्यक्रम तैयार करना।

5. परिषद के लक्ष्यों को पाने के लिए जरूरी अन्य कदम उठाना।

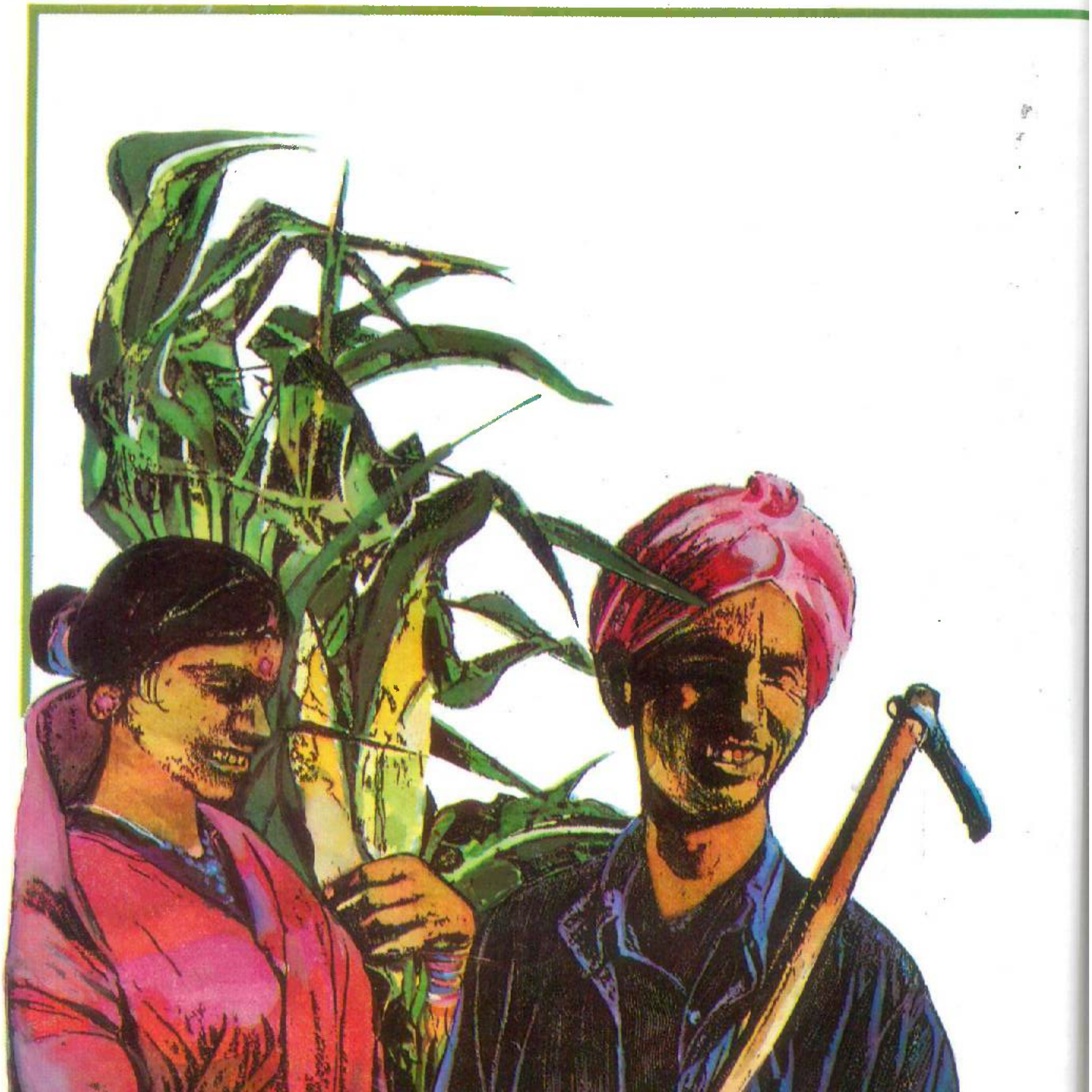

1. परिचय

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डेयर)

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डेयर) की स्थापना कृषि मंत्रालय में दिसंबर, 1973 में हुई थी। भारत सरकार कार्यक्षेत्र निर्धारण करने से संबंधित नियमावली के अनुसार डेयर को जो विषय सौंपे गये थे, उनका विवरण परिशिष्ट 1 में दिया गया है।

भा.कृ.अनु.प. डेयर के अंतर्गत ही एक स्वायत्तशासी निकाय है। डेयर के सचिव को ही परिषद के महानिदेशक के रूप में भी कार्य सम्हालने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। डेयर का वित्तीय सलाहकार भा.कृ.अनु.प. का भी वित्तीय सलाहकार होता है। आमतौर से डेयर और भा.कृ.अनु.प. के मध्य एकल फाइल प्रणाली का उपयोग किया जाता है।

डेयर के अधीन समूह 'ए' के दस, समूह 'बी' का 1, समूह 'सी' के 17 और समूह 'डी' के 6 कर्मचारी हैं। समूह ए, बी और सी के पदों पर या तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग अथवा कृषि एवं सहकारिता विभाग के जरिये पद के स्तर के अनुरूप केन्द्रीय नियुक्तियां होती हैं। सिर्फ समूह डी के पदों पर ही सीधे नियुक्तियां की जाती हैं। इस प्रकार की नियुक्तियां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए निर्धारित भारत सरकार के आदेशों के अनुसार ही की जाती हैं। वर्तमान में डेयर में 7 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जनजाति का कर्मचारी है।

इनके अतिरिक्त राज्य मंत्री (डेयर) के निजी स्टाफ के तहत 13 पदों का सृजन किया गया। विभाग के प्रमुख कार्यनिष्पादक अधिकारियों और उनके पदों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2 में दिया गया है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

भा.कृ.अनु.प., कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के कार्यक्रम कार्यान्वित करने वाला शीर्ष संगठन है। भा.कृ.अनु.प. की स्थापना सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अधीन पंजीकृत सोसायटी के रूप में 16 जुलाई 1929 को की गई थी। परिषद का गठन 1929 में रायल एग्रीकल्चर कमीशन की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। सन् 1965 और 1973 में इसका दो बार पुनर्गठन किया गया। भा.कृ.अनु.प. का मुख्यालय कृषि भवन, नई दिल्ली में स्थित है।

भा.कृ.अनु.प. के अध्यक्ष कृषि मंत्री हैं। परिषद का प्रमुख कार्य निष्पादन अधिकारी महानिदेशक होता है। इसके अतिरिक्त वह भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग का सचिव भी होता है।

सामान्य निकाय भा.कृ.अनु.प. की सर्वोच्च प्राधिकार प्राप्त संस्था है। इसका नेतृत्व कृषि मंत्री, भारत सरकार ही करता है। इसके सदस्यों में कृषि, पशुपालन एवं मछली पालन विभाग के मंत्रीगण, राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी तथा सांसद, उद्योग, शिक्षा संस्थानों, वैज्ञानिक संगठनों तथा कृषक समुदाय के प्रतिनिधि शामिल हैं।

भा.कृ.अनु.प. से संबंधित निर्णय लेने के मामले में इसकी शासी निकाय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका अध्यक्ष महानिदेशक होता है। इसमें ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक, शिक्षाविद, विधायक और कृषक समुदाय से जुड़े प्रतिनिधि होते हैं। इसकी सहायता के लिए स्थायी वित्त समिति, मानदण्ड एवं प्रत्यायन समिति, क्षेत्रीय समितियां, कई वैज्ञानिक पैनल और प्रकाशन समिति हैं।

भा.कृ.अनु.प., भारत सरकार और कृषि उत्पाद उपकर कोष से धन प्राप्त करती है। भा.कृ.अनु.प. के महानिदेशक, कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन में अनुसंधान और शिक्षा से संबंधित सभी मामलों में प्रधान सलाहकार के रूप में भारत सरकार को सलाह देने का कार्य करते हैं।

भा.कृ.अनु.प. के महानिदेशक की वैज्ञानिक मामलों में आठ उपमहानिदेशक मदद करते हैं। ये उपमहानिदेशक हैं: (1) फसल विज्ञान (2) मृदा, सस्य विज्ञान और कृषि वानिकी (3) पशु विज्ञान (4) कृषि शिक्षा (5) प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण (6) मत्स्य पालन (7) बागवानी और (8) कृषि अभियांत्रिकी। ये उपमहानिदेशक अपने विषय से संबंधित संस्थानों और प्रायोजनाओं के लिए उत्तरदायी हैं।

इस समय सोसायटी के 141 सदस्य हैं (परिशिष्ट-1) सोसायटी के शासी निकाय में 26 सदस्य हैं (परिशिष्ट-2)। भा.कृ.अनु.प. के अन्य महत्वपूर्ण अंग और समितियां इस प्रकार हैं: स्थायी वित्त समिति, मानदण्ड एवं प्रत्यायन समिति और क्षेत्रीय समितियां। इनकी वर्तमान संरचना परिशिष्ट-3 से 5 में दी गई है। मुख्यालय में कार्यरत वरिष्ठ अधिकारियों की सूची परिशिष्ट-6 में दी गई है।

भा.कृ.अनु.प. का यह प्रयास रहता है कि फसलों के उपज स्तर को बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि किसानों के आर्थिक स्तर को ऊंचा करने के लिए भी तकनीक विकसित की जाएं और किसानों तक पहुंचायी जाएं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भा.कृ.अनु.प. ने 9 राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की। दलहन निदेशालय को संस्थान का दर्जा दिया गया है। जैविक नियंत्रण की अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजना को प्रायोजना निदेशालय का दर्जा दिया है और पशु पोषण तथा कायिकी के राष्ट्रीय संस्थान, पशु आनुवंशिकी संसाधनों के नेटवर्क तथा फसल आधारित पशु उत्पादन प्रणालियों और भ्रूण रोपण के नेटवर्क स्थापित किए हैं। महिलाओं के लिए नई आर्थिक नीतियों के अनुसार विशिष्ट तकनीकों के विकास और परीक्षण के लिए कृषि में महिलाओं का राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र बनाया गया है।

इस समय भा.कृ.अनु.प. की अनुसंधान प्रणाली में 46 केन्द्रीय संस्थान, 4 राष्ट्रीय ब्यूरो, 29 राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, 10 प्रायोजना निदेशालय और 80 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाएं तथा नेटवर्क शामिल हैं। इन संस्थानों की विस्तृत जानकारी परिशिष्ट 7 से 11 तक में दी गई है। विविध स्थानों में चल रही तदर्थ अनुसंधान योजनाओं को वित्तीय सहायता देने के अतिरिक्त भा.कृ. अनु.प. यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया फण्ड के माध्यम से अनुसंधान योजनाओं को वित्तीय सहायता देता है। इन योजनाओं की विस्तृत सूची परिशिष्ट-12 में दी गयी है।

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना (नार्प) के अधीन भा.कृ.अनु.प. ने राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से अनेक नई उप-प्रायोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। परिशिष्ट-13 में नई और पुरानी उप-प्रायोजनाओं की पूरी सूची दी गई है।

भा.कृ.अनु.प. अवकाश प्राप्त वैज्ञानिकों की प्रतिभा का लाभ उठाने के लिए उन्हें वैज्ञानिक प्रायोजनाओं में एमेरिटस साइंटिस्ट के रूप में नियुक्त करती है। परिशिष्ट-14 में एमेरिटस साइंटिस्ट, राष्ट्रीय फैलो और राष्ट्रीय प्रोफेसर की वर्तमान संख्या इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई है। वैज्ञानिक कार्यक्रमों को समुचित रूप से प्रोत्साहन देने के लिए कार्यगोष्ठियां, संगोष्ठियां और ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित किए जाते हैं। परिशिष्ट-15 में ग्रीष्मकालीन संस्थानों की सूची दी गई है।

कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए परिषद के अधीन विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त चार राष्ट्रीय संस्थान कार्यरत हैं: भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय पशु विज्ञान अनुसंधान संस्थान और केन्द्रीय मछली पालन शिक्षा संस्थान। इन संस्थानों में मुख्य रूप से स्नातकोत्तर स्तर पर विशेष शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था है। भा.कृ.अनु.प. के अधीन एक राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादेमी (नार्म) कार्यरत है, जोकि कृषि अनुसंधान सेवा (ए.आर.एस.) में प्रवेश पाने वाले युवाओं को और वैज्ञानिकों तथा प्रशासकों को प्रशिक्षित करने के कार्यक्रम आयोजित करती है।

ऊपर दिए गये विविध कार्यों के अतिरिक्त भा.कृ.अनु.प. 27 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय (उत्तर-पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के लिए) के द्वारा कृषि अनुसंधान शिक्षा और विस्तार शिक्षा के कार्यक्रम चलाने के लिए अनेक तरह से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इन विश्वविद्यालयों की सूची परिशिष्ट 16 में दी गई है।

सिंहावलोकन

आलोच्य वर्ष 1995-96 में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन हमारे लक्ष्य 19 करोड़ टन से आगे निकल गया। अनेक कृषि जिंसों के निर्यात में एक मूलभूत परिवर्तन इस वर्ष देखा गया, जो बड़ा आशाजनक और उत्साहवर्धक है। कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी काफी बढ़े हैं- फसल-उत्पादन के क्षेत्र में 2 प्रतिशत और पशुपालन तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों में 4.5 प्रतिशत। यह सब इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि भारत के कृषि अनुसंधान तंत्र में तेजी से सुधार लाकर नवोन्मेष का संचार किया जा सका। इस वर्ष मुख्यतया फसलों और पशु-उत्पादों के अभिमूल्यन में योगदान की दृष्टि से अनेक नए अनुसंधान केन्द्र खोले गए। अब भारत के कृषि-तंत्र में विविधीकरण की प्रक्रिया तेजी से जड़ें जमा रही हैं।

उपज-अवरोधों को तोड़ने के लिए संकर और प्रजनित किस्में

वर्ष के दौरान मिशन-प्रणाली अपनाकर संकर धान के विकास के लिए किए गए प्रयास फलीभूत हुए और कर्नाटक में चावल में उपज-अवरोध तोड़ने के लिए 'के.आर.एच.-1' संकर धान जारी किया गया। संकर धान का क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है और लगभग 10,000 हैक्टर हो गया। इसके अतिरिक्त विविध कृषि जलवायु क्षेत्रों में उगाने के लिए धान की 25 नई किस्में जारी की गईं। गेहूं की पांच नई किस्मों की पहचान भी की गयी। गेहूं की निर्यात योग्य एमर किस्म की बौनी और अधिक उपजशील किस्म पहली बार विकसित की गयी।

मोटे अनाजों की उत्पादकता बढ़ाने के अनुसंधान के फलस्वरूप पंजाब के लिए एकल क्रॉस संकर 'पारस' जारी किया गया। कर्नाटक, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश में रबी ज्वार के लिए 'सी.एस.एच. 15 आर' संकर ज्वार जारी किया गया। सुधरे संकर ज्वार 'एम.-35-1' और 'सी.एस.एच.-12 आर' ने दाने की 20% अधिक उपज (3,194 किलोग्राम/है.) दी। आन्ध्र प्रदेश, बिहार और कर्नाटक में बाजरे की तीन अधिक उपजशील किस्में जारी की गयीं।

बेहतर पोषण प्रदान करके पशु उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से भा.कृ.अनु.प. के अनुसंधान-तंत्र से चारे की फसलों की 22 नई किस्में प्राप्त हुई। इनमें अफ्रीकी कंगनी की 1, दीनानाथ घास की 4, जई की 4, इजिप्शियन क्लोवर की 3, लोबिया की 2, सेम की 1, ग्वार (क्लस्टरबीन) की 2, रिजका (लूसर्न) की 1 और नैपियर बाजरा के 4 संकर शामिल हैं। इनमें से अनेक किस्में आदिवासी क्षेत्रों को ध्यान में रखकर विकसित की गयी है ताकि आदिवासी, छोटे और बहुत छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर लाभान्वित हो सके। इनमें से 67% पशु पालते हैं।

परिषद दलहनों के तकनीकी मिशन को अनुसंधान का सम्बल प्रदान कर रही है। दाल वाली मटर की एक बौनी किस्म 'अपर्णा' में प्रति हैक्टर 3,683 कि.ग्रा. तक अधिकतम उपज प्रदान की। अरहर में अगेती, मध्यम और पछेती पक्वता की दृष्टि से तथा गुणात्मक और मात्रात्मक विशेषताओं को परखने के लिए 1,003 प्रविष्टियां परखी गयीं। चने की पूसा-256 से दाने की उपज में कमी के बगैर 530 कि.ग्रा./है. हरा साग तोड़ा गया। मसूर में 9 मोटे दाने वाले और 2 छोटे दाने वाले जो वंशक्रम गत वर्ष छांटे गए थे, उन्हें जारी करने से पहले के परीक्षणों में डाला गया था और कसौटियों पर खरे उतरने के बाद उनमें से 8 वंशक्रमों को जारी करने की दृष्टि से परीक्षण पूरे किए गए।

तिलहन-उत्पादन में आशातीत उपलब्धियों का क्रम जारी है। निर्यात संभावनाओं की दृष्टि से आइलमील और गौण तिलहन अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। किस्म सुधार कार्यक्रम की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर निगाह डालें तो सरसों के दो संकर 'आई.सी.एस.-3-1' और 'सी.सी.एम.-2' ने नोनिया जमीनों में भी अधिक उपज दी। तिल के 10 आशाजनक अधिक उपजशील जीनोटाइप विविध कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए विकसित किए गए। अलसी में 5 वंशक्रम अगेती पक्वता के लिए, 5 वंशक्रम अधिक तेलांश के लिए और 27 आशाप्रद वंशक्रम रोगरोधिता के लिए छांटे गए।

नगदी फसलों में गन्ने का उत्पादन नया रिकॉर्ड बना रहा है। अनेक

नयी किस्में (जैसे कि को-86010) ने प्रति हैक्टर 21 टन अधिक गन्ना व 1.57 टन/है. चीनी पैदा की। परखनली में गन्ना-संवर्धन के सफल प्रयासों से परखनली पौध तैयार कर ली गयी।

कपास के नए संकरों ने कपास का उत्पादन बढ़ाने में बड़ा महत्वपूर्ण योग दिया है। दस नए संकर मुख्य रूप से गुजरात को ध्यान में रखकर जारी किए गए। अनेक अन्य संकर भी उत्पादन-परीक्षणों में आशाजनक सिद्ध हुए हैं। कपास के 10 संकर इजराइल से प्राप्त हुए थे, जो कि सभी परीक्षण केन्द्रों पर रस चूसने वाले कीटों के शिकार हो गए और उत्तरी क्षेत्र में पत्ती मोड़क विषाणु ने धराशायी कर दिए। सनई (सनहैम्प) की 'एस.यू.ई.एक्स.-0-15' किस्म दिनावधि-निरपेक्ष और अगेती पुष्पन वाली पायी गयी। पटसन (जूट) की 'सी.आई.जे.-021' किस्म में जड़ और तना गलन के मंद लक्षण प्रकट हुए। तोसा जूट की 'जे.आर.ओ.-36 ई' किस्म उत्तरी बंगाल में जललग्नता के प्रति सहनशील पायी गयी।

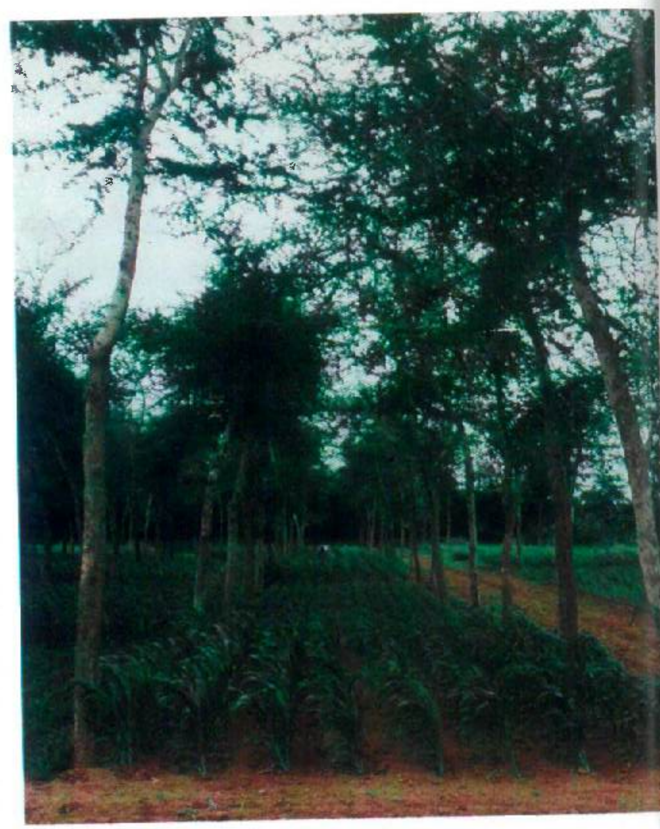

कृषि में जैव विविधता का संरक्षण और सदुपयोग

मूल्यवान जननद्रव्य का देशी और विदेशी स्रोतों से संकलन करके राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान तंत्र में फसल सुधार कार्यक्रमों के संपोषण में इस्तेमाल का काम इस साल भी पूरे मनोयोग से चला। इस वर्ष ऐसी फसलों की किस्मों के संकलन पर विशेष ध्यान दिया गया, जिनका अभी कम उपयोग किया गया है। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एन.बी.पी.जी.आर.) के वैज्ञानिकों ने इस वर्ष 9 गवेषणा-अभियान आयोजित किए और देश के विविध कृषि जलवायु क्षेत्रों से 9 फसलों (परवल, फालसा, खेजड़ी, बेल, कटहल, अनार और फराशबीन) की 728 प्रविष्टियां संकलित कीं। इसके अतिरिक्त संगरोध-स्वीकृति के लिए विदेशों से लाए गए अनेक नमूने जांचे गए। धान्य, गौण धान्य, तिलहन, दलहन, रेशे, सब्जी, मसाले, जड़ी-बूटी और सगंध वनस्पतियों की 356 प्रविष्टियों को बीज बनाने, विशेषताएं परखने तथा प्राथमिक मूल्यांकन के लिए उगाया गया। 31 जनवरी 1996 तक राष्ट्रीय जीन बैंक में संकलित जनित्र द्रव्य की प्रविष्टियां 1,57,439 हो गयी थीं।

निर्यात उन्मुखता और बागवानी विकास

नयी सुधारात्मक आर्थिक नीतियों ने कृषि जिंसों के निर्यात के अवसर और लाभ बढ़ाये हैं। अभी निर्यातोन्मुख अनुसंधान में और तीव्रता लाने की आवश्यकता है। आलोच्य वर्ष में आम के नए संकर

को तेज किया गया है। इसकी फ्राइ की उत्तरजीविता 52 प्रतिशत रही।

शिक्षा

उ

ल· विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कृषि मानव संसाधन विकास प्रयोजना · 14 अगस्त, 1995 को शुरू किया गया था। इस प्रायोजना का 'अत खर्च 742 लाख अमरीकी डालर है। इसमें तीन राज्य यथा ने याणा, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु भागीदार हैं। यह प्रायोजना अत्व संसाधन विकास के जरिये कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनायेगी उप पुनः प्रशिक्षण के द्वारा उनमें सुधार लायेगी। यह प्रायोजना निवेश से मिकताओं में प्रवेशक परिवर्तन लायेगी, जिससे नीति बनाने और पार्पागत सुधारों में परिवर्तन लाने का रास्ता खुलेगा। इस प्रायोजना स्वीकच्च कृषि शिक्षा और सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रासंगिकता बेंगन गुणवत्ता को उन्नत करने में मदद मिलेगी। इसके कार्यक्रमों को हो चर

वंशक्रम, तरबूज के 41, खीरे के 88, करेले के 226, लौकी के 95 और परवल के 200 आशाप्रद पाये गये।

आलू की 3 नयी किस्में व्यापारिक खेती के लिए जारी की गयीं और 13 नए संकर आलू परखे गए। आलू के सच्चे बीज (टी.पी. एस.) वाले तीन संकरों ने मानक किस्मों से 12% अधिक उपज दी। टी.पी.एस. बीज उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र को सहायता दी गयी। कसावा (टेपिओका) के 3 अगेती क्लोनों ने अधिक उपज दी।

निर्यात बढ़ने के कारण पुष्पोत्पादन की खुशबू फैल रही है। गुलाब, गुलदाउदी, ग्लेडिओलस, कार्नेशन, ऑर्किड, जरबेरा, चमेली और कंदीय फसलों की नयी किस्मों की मांग लगातार बढ़ रही है। ट्यूबरोज के दो आशाप्रद संकर जारी किए गए।

जड़ी बूटियों और सगंध पौधों की अनेक नयी किस्में जारी की गयीं, जिनमें पिप्पली की चीमातिपल्ली किस्म शामिल है। पहली बार पान में सफलतापूर्वक अनेक क्रॉस किए गए और संकरित पौध आगे परखी गयी।

मिट्टी की दशा और जल प्रबंध

भा.कृ.अनु.प. देश में मिट्टी की दशा पर बराबर निगाह रखे हुए है। अनेक समस्याग्रस्त क्षेत्रों में मिट्टी को सुधार कर उसकी उर्वरता फिर से वापस लाने के प्रयास किए गए हैं। आलोच्य वर्ष में आन्ध्रप्रदेश, गोआ और दिल्ली देहात में 137.9 लाख हैक्टर क्षेत्र का

भागीदार राज्यों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए सुदृढ़ किया जा रहा है, ताकि वे अपने मानव संसाधनों का संचालन और विकास कर सकें।

देश में छात्रवृत्ति का प्रचलित नमूना व्यावसायिक महाविद्यालयों में उनके लिए उपलब्ध वित्तीय स्रोत में सुधार लाने की मांग करता है। इस नीति से सामंजस्य रखते हुए पशुचिकित्सा विज्ञान और कृषि अभियांत्रिकी के लिए भा.कृ.अनु.प. की कनिष्ठ शिक्षावृत्ति को अब रु. 2,800/माह और अन्य विषयों के लिए रु. 1,800/माह तक बढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार जो विद्यार्थी डाक्टर की उपाधि के लिए शोध कर रहे हैं, उनके लिए पशुचिकित्सा विज्ञान और कृषि अभियांत्रिकी में रु. 3,000/- और अन्य विषयों में रु. 2,500/माह तक बढ़ा दिया गया है।

कृषि शिक्षा पर डीनों की तृतीय समिति (रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1995 को प्रस्तुत की गई) ने कृषि और सम्बद्ध विज्ञान विषयों में पूर्वस्नातक उपाधि कार्यक्रमों के सम्बन्ध में, विशेषकर, कार्यक्रमों की अवधि,

अनेक सब्जियों और मसालों में अपनाने की विधियां विकसित कर ली गयी हैं, ताकि इन फसलों में भी पानी की बचत के साथ ही उपज बढ़ायी जा सके।

विभिन्न कृषि जलवायुवीय क्षेत्रों में भूमि को बर्बाद होने से बचाने के लिए वैकल्पिक भूमि उपयोग प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया गया। भा.कृ.अनु.प. द्वारा जारी तकनीकी पैकेज में कृषि क्रियाएं, बहु-स्तरीय फसल पद्धति, अधिक हरियाली के लिए यांत्रिक वनीकरण, भूमि क्षरण रोकने के लिए वानस्पतिक अवरोधक और मृदा स्थायित्व व मृदा गति पनपाना शामिल हैं। क्रिडा ने एक सस्ती, संवहनीय और हाथ से चलाने योग्य टपकाव सिंचाई प्रणाली विकसित की है।

बारानी क्षेत्रों में हरा चारा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है जिससे पशुधन उत्पादन सीमित होता है। अब बिना उपजाऊ वाली मिट्टी से हरा चारा पैदा करने की उचित प्रौद्योगिकी का विकास किया जा चुका है। *स्टायलोसेंथस हमेटा* से प्रति हैक्टर 3-5 टन सूखा चारा मिलता है जबकि देशी किस्मों से केवल एक टन प्रति हैक्टर चारा मिलता है। यह तकनीक उन क्षेत्रों के लिए सफल साबित हुई है, जहां वर्षा 450-800 मि.मी. तक होती है।

चालू वर्ष के दौरान पंजाब में कपास के लिए सौर ऊर्जा आधारित उच्च निकासी वाला फुहारा बनाया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 1 लाख रुपये है। मिट्टी में से हानिकारक रसायन घुलकर बाहर निकालने में नालियां बहुत प्रभावी साबित हुई। इससे धान की पैदावार में एक टन प्रति हैक्टर की वृद्धि हुई।

पशु विज्ञान

पशु उत्पादन में अच्छी प्रगति हुई है। सबसे ज्यादा दूध पैदा करने वालों में भारत का स्थान दूसरा है। शताब्दी के अन्त में ढाई करोड़ गायें जिनकी दूध उत्पादन क्षमता 2500 लीटर/305 दिन है, डेयरी उद्योग के विकास में सहायता प्रदान करेंगी। शताब्दी के अंत में लगभग 7 से 9 करोड़ टन दूध का उत्पादन होगा।

फ्राइजवाल, करन स्विस और करन फ्राइज संकर नस्लों की संतति जांच और छांटकर उनकी संख्या को निर्धारित करने के लिए परिषद ने वृहद योजना शुरू की है।

देशी नस्लों को सुरक्षित रखने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो में एक प्रायोजना की स्थापना की गई है। साथ ही भैंसों की उत्पत्ति सुधार तकनीक में काम आने वाले जर्म प्लाज्म को भी सुधारने के प्रयास किए गए हैं। एन.बी.पी.जी.आर., नई दिल्ली में पौधों और पशुओं के डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटिंग के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गई है। यह केन्द्र पशुधन नस्लों के जीनोटाइप और आकृति तथा जीनों के अनुसंधान कार्य को देखेगा। दो नई अच्छे ऊन वाली भेड़ों भारत मेरीनो और गद्दी सिन्थेटिक नस्लों के ऊन में सुधार देखा गया। पशु स्वास्थ्य की जांच के लिए डी.एन.ए. उत्पाद सहित अनेक नये निदान तरीकों को विकास किया गया है। इन सभी को नैदानिक किट बनाने के लिए समेकित किया जा रहा है।

मात्स्यिकी

सी.एम.एफ.आर.आई. कोचीन का मुख्य काम समुद्री मछलियों उत्पादन का अनुमान लगाना है। समुद्री मछलियों को कहां अधि पकड़ा जा सकता है इसके बारे में अनुसंधानकर्ता, सरकारी विभाग उद्योग, उद्यमियों आदि को विस्तार से सूचना देता है। दिसंबर त कुल 23.6 लाख टन समुद्री फिनफिश और शेलफिश पकड़ी गयं

उड़ीसा आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु के समुद्री तट के खारे पानी जीव जन्तुओं में मुख्य समस्या का सामना करना पड़ा- श्रिम्प को सफे धब्बा रोग ने प्रभावित किया। यह अभी भी प्रथम मृत्यु कारक ब हुआ है। श्रिम्प संवर्धन से पैदा होने वाली पर्यावरण समस्या देश हंगामे का कारण बनी हुई है। धान उत्पादन और अन्य प्रणालि पर इसके प्रभावों के बारे में गलत सूचनाओं के कारण यह समस उपजी।

मत्स्य आनुवंशिक संसाधनों के गलत तरीकों के प्रति जागरूक की जरूरत है। एन.बी.पी.जी.आर. के जीन बैंक में हिल्सा के मि को लाया गया। हिल्सा मिल्ट को हिमीकृत करने के 7 माह बाद सफलतापूर्वक नवीकृत पाया गया। भीमताल में कृत्रिम गर्भाधान व प्रयोग करते हुए सतलुज और ब्यास नदियों से संग्रहित विलुप्त रही महाशीर का अब पालन किया जा रहा है। इससे महाशीर संरक्षण में सहायता मिलेगी।

गढ़वाल हिमालय में ब्राऊन और रेनबो ट्राउट मछलियों के प्रजन

को तेज किया गया है। इसकी फ्राइ की उत्तरजीविता 52 प्रतिशत रही।

शिक्षा

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कृषि मानव संसाधन विकास प्रयोजना को 14 अगस्त, 1995 को शुरू किया गया था। इस प्रायोजना का कुल खर्च 742 लाख अमरीकी डालर है। इसमें तीन राज्य यथा हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु भागीदार हैं। यह प्रायोजना मानव संसाधन विकास के जरिये कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनायेगी और पुनः प्रशिक्षण के द्वारा उनमें सुधार लायेगी। यह प्रायोजना निवेश प्राथमिकताओं में प्रवेशक परिवर्तन लायेगी, जिससे नीति बनाने और संस्थागत सुधारों में परिवर्तन लाने का रास्ता खुलेगा। इस प्रायोजना से उच्च कृषि शिक्षा और सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रासंगिकता और गुणवत्ता को उन्नत करने में मदद मिलेगी। इसके कार्यक्रमों को भागीदार राज्यों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए सुदृढ़ किया जा रहा है, ताकि वे अपने मानव संसाधनों का संचालन और विकास कर सकें।

देश में छात्रवृत्ति का प्रचलित नमूना व्यावसायिक महाविद्यालयों में उनके लिए उपलब्ध वित्तीय स्रोत में सुधार लाने की मांग करता है। इस नीति से सामंजस्य रखते हुए पशुचिकित्सा विज्ञान और कृषि अभियांत्रिकी के लिए भा.कृ.अनु.प. की कनिष्ठ शिक्षावृत्ति को अब रु. 2,800/माह और अन्य विषयों के लिए रु. 1,800/माह तक बढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार जो विद्यार्थी डाक्टर की उपाधि के लिए शोध कर रहे हैं, उनके लिए पशुचिकित्सा विज्ञान और कृषि अभियांत्रिकी में रु. 3,000/- और अन्य विषयों में रु. 2,500/माह तक बढ़ा दिया गया है।

कृषि शिक्षा पर डीनों की तृतीय समिति (रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1995 को प्रस्तुत की गई) ने कृषि और सम्बद्ध विज्ञान विषयों में पूर्वस्नातक उपाधि कार्यक्रमों के सम्बन्ध में, विशेषकर, कार्यक्रमों की अवधि,

दाखिले के लिए पात्रता, दाखिले का तरीका, परीक्षा की क्रियाविधि, मूल्यांकन और क्रम-निर्धारण आदि के संदर्भ में व्यापक सिफारिशें की हैं। पूर्वस्नातक उपाधि कार्यक्रमों के लिए ग्रामीण क्षेत्र के कार्य अनुभव को अनिवार्य बना दिया गया है।

विज्ञान के 36 प्रमुख विषयों में उच्च अध्ययन की योजना के बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिले हैं। चालू योजना में इस योजना का व्यय 14 करोड़ 70 लाख रुपये रखा गया है। इसके अंतर्गत केन्द्रों में प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए परिवर्तनों की सिफारिश की गयी है।

आलोच्य वर्ष के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ अध्यापक पुरस्कार (रु. 20,000/- प्रत्येक के पांच) और विश्वविद्यालय और संस्थान स्तरों पर श्रेष्ठ अध्यापक पुरस्कार रु. 10,000/- प्रत्येक के शुरू किये गये हैं।

कृषि प्रसार

भा.कृ.अनु.प. के 42 संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में संस्था-ग्राम सम्पर्क कार्यक्रम के माध्यम से प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और परिष्करण पर एक अग्रगामी प्रायोजना शुरू की गयी। यह प्रायोजना मुख्यतः प्रौद्योगिकीय मध्यस्थता को बनाये रखने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का समाकलन करने और प्रस्तुत करने का प्रयास करेगी। इसमें पर्यावरणीय मामलों को ध्यान में रखते हुए उत्पादकता और लाभप्रदता को कायम रखा जायेगा। यह संरक्षण के लिए कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी को अपनाने तथा कृषि की पैदावार, इसके उपोत्पादों और अवशिष्टों के खेतिहर अभिमूल्यन को भी बढ़ायेगी।

यह प्रायोजना खेतिहर महिलाओं की कड़ी मेहनत को कम करने तथा उनकी कार्यक्षमता और आय को बढ़ाने का भी प्रयास करेगी। यह प्रायोजना विभिन्न उत्पादन प्रणालियों के लिए प्रौद्योगिकीय मध्यस्थता और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव की निगरानी करेगी। यह एक ऐसा सम्पर्क है जिसका वैज्ञानिक अपने अनुसंधान कार्यक्रमों को अपनाने के लिए एक पुनर्निवेशक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकेंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

भा.कृ.अनु. परिषद् में कृषि क्षेत्र में विकसित देशों के अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग, जल उपयोग दक्षता, पोषण प्रबन्धन और समन्वित कीट प्रबन्धन जैसी नई तकनीकियों के क्षेत्र में सहयोग पर जोर दिया है। चालू वर्ष में बहुउद्देशीय समझौतों पर हस्ताक्षर कर इस लक्ष्य के बदले में क्षेत्रीय उपलब्धियों पर ध्यान दिया गया है। इसके अतिरिक्त फिलपिन्स में मनीला स्थित आई.आर.आर.आई. संस्थान के अन्तर्राष्ट्रीय वैधानिक स्तर को मान्यता दी गई है। विश्व बैंक, जापानी सरकार ए.सी.आई.ए.आर., राकफैल्लर फांउडेशन और फोर्ड फाउंडेशन के साथ कई करारों पर हस्ताक्षर किये। इस वर्ष के दौरान कई समझौता करारों पर हस्ताक्षर किये गये जैसे भारत-ब्राजील सहयोग, लाइबेरिया, घाना और बूरकिनों फासों के कृषि विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग और ब्रिटेन के ओ.डी.ए. के साथ भारत-ब्रिटेन साझा समझौता, इण्डो-क्यूबा कार्य योजना, रूसी कृषि विज्ञान अकादमी और भारत अमरीका समझौता।

प्रकाशन और सूचना

प्रकाशन एवं सूचना प्रभाग का पुनर्गठन किया गया। चालू वर्ष के दौरान इसका पूरा कम्प्यूटरीकरण किया गया जिसके लिए 16 लाख रु. का अतिरिक्त प्रावधान किया गया। इसे संस्थान का स्तर दिया जा रहा है, जिसमें पूर्ण रूप से स्वचालित सूचना प्रणाली हो।

भा.कृ.अनु. परिषद अपनी क्षमताओं और कमजोरियों का आकलन करने में समर्थ है। इसने अपनी क्षमताओं के भरपूर इस्तेमाल और कमजोरियों की दिशा में भावी योजना विकसित की है। इस वर्ष बाजार अध्ययन और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने के प्रयास पर जोर दिया गया। परिषद् ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता की चुनौती का सामना करने के लिए और कृषि के क्षेत्र में भूमंडलीकरण स्थिति का लाभ उठाने के लिए जुझारू तेवर अपनाने की रूपरेखा तैयार की है।

प्रशासन और वित्त

प्रशासनिक कार्यों के तहत महानिदेशक की सहायता के लिए सचिव, जो कि भारत सरकार (डेयर) के संयुक्त सचिव भी होते हैं, निदेशक कार्मिक, वित्त और निर्माण और विभिन्न स्तरों पर अन्य प्रशासनिक अधिकारी तथा कर्मचारी होते हैं। भा.कृ.अनु.प. के वित्तीय मामलों के लिए डेयर के संयुक्त सचिव (वित्त), प्रधान वित्त सलाहकार के रूप में भी कार्य करते हैं। इसके अलावा परिषद के प्रचार और सूचना से संबंधित कार्यों में महानिदेशक की सहायता निदेशक (प्र. एवं सू.) करते हैं।

भा.कृ.अनु.प. के मुख्यालय का प्रशासन

परिषद के मुख्यालय तथा संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों के बड़ी संख्या में रिक्त पदों की भर्ती के लिए द्रुतगति से प्रयास किए गए। विभिन्न चयन समितियों/विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें बुलाई गई और निर्धारित समय में कार्य सम्पन्न किए गए। कृ.वै.नि. मंडल द्वारा समयबद्ध रूप से पद भरने के लिए सीधी सीमित विभागीय परीक्षाएं आयोजित की गईं। इन ठोस प्रयासों के परिणाम स्वरूप वैज्ञानिक, प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य श्रेणियों के निम्नलिखित पद पदोन्नति, सीमित विभागीय परीक्षाओं और सीधी नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति द्वारा 31 दिसंबर 1995 तक भरे गए।

पदोन्नतियां

	पदनाम	पदों की संख्या
1.	उपनिदेशक (पी.)	1
2.	उपनिदेशक (वि)	1
3.	परीक्षा कंट्रोलर (ए.एस.आर.बी.)	1
4.	मुख्य प्रशासन अधिकारी	3
5.	वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी	4
6.	प्रशासन अधिकारी	14
7.	वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी	2
8.	कनिष्ठ विश्लेषक	1
9.	प्रोटोकाल अधिकारी	1
10.	निजी सचिव	1
11.	अनुभाग अधिकारी	9
12.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	2
13.	वित्त एवं लेखा अधिकारी	9
14.	कार्यक्रम अधिकारी	1
15.	डाटा संग्रहक	1
16.	सहायक	3
17.	अवर लिपिक	3
18.	वरिष्ठ हिंदी अनुवादक	1
19.	डेस्क अधिकारी.	4
20.	मुख्य पैकर	1
21.	फरास	1
22.	डी समूह कर्मचारी	10
	सीमित विभागीय परीक्षाएं	
1.	अनुभाग अधिकारी	7
2.	सहायक	11
	सीधी नियुक्तियां/प्रतिनियुक्ति अनुसंधान प्रबंधन पद	
1.	उप महानिदेशक	3
2.	सहायक महानिदेशक	3
3.	निदेशक (परियोजना निदेशक सहित)	22
4.	संयुक्त निदेशक	2
5.	परियोजना समन्वयक और विभागाध्यक्ष	54
	प्रशासनिक	
1.	निदेशक (वित्त)	1
2.	प्रशासनिक अधिकारी	14
3.	वित्त एवं लेखा अधिकारी	11
4.	प्रधान प्रचार एवं जनसंपर्क अधिकारी	1
5.	व्यवसाय प्रबंधक	1
6.	ड्राईवर	3
7.	चपरासी	4
8.	पुस्तकालय सहायक	1
9.	सफाई वाला	1

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

परिषद के कर्मचारियों के सेवा संबंधी लम्बित मामलों पर निम्नांकित महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये:

प्रशासनिक श्रेणी

1. भा.कृ.अनु.प. मुख्यालय के सहायकों/आशुलिपिकों की दिनांक 1.1.86 से रु. 1640-2900 के संशोधित वेतनमान देने संबंधी लम्बे समय से निलम्बित मांग को पूरा किया जा चुका है और इस संबंध में पत्र सं. 6-8/91 स्थापना-2 दिनांक 7.6.95 द्वारा आदेश जारी किये गये।
2. प्रशासनिक कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसरों और अन्य संबंधित मामलों को सुधारने के लिए कार्यालय आदेश सं. 33-9/95 स्थापना-1 दिनांक 7.6.95 द्वारा डा. के.वी. रमण की

अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है।

वैज्ञानिक श्रेणी

1. भा.कृ.अनु.प. के पत्र दिनांक 4.4.95 द्वारा कृषि अनुसंधान सेवा (ए.आर.एस.) के वैज्ञानिकों के परिवीक्षा और स्थायीकरण संबंधी मामलों की निकासी के लिए शक्तियों को विकेन्द्रीकृत किया गया है। अब इन मामलों को संस्थान स्तर पर विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा किया जा सकता है।
2. दिनांक 16.5.95 द्वारा विभागीय पदोन्नति समितियों के बाहरी सदस्यों/विशेषज्ञों के लिए पारिश्रमिक भुगतान संबंधी आदेश का भा.कृ.अनु.प. के तकनीकी कर्मचारियों की पदोन्नति पर विचार करने के लिए भी विस्तार किया गया।
3. दिनांक 31.12.95 को समाप्त होने वाली 5 वर्षीय अवधि के लिए मूल्यांकन का लाभ उन सभी वर्ग के वैज्ञानिकों को जिन्होंने 1.1.86/1.7.86 से एस-4, एस-5 आदि पदोन्नति हासिल कर ली थी, इसका विस्तार किया गया।
4. दिनांक 11.9.95 के पत्र द्वारा सभी संस्थानों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने-अपने संस्थानों में शिकायत समितियों को पुनर्जीवित करें।
5. भा.कृ.अनु.प. के पत्र दिनांक 2.11.95 द्वारा एक वरिष्ठ स्तर के वैज्ञानिक की वेतनवृद्धि की तुलना में एक कनिष्ठ स्तर के वैज्ञानिक द्वारा पूर्वदिनांक में वेतनवृद्धि लेने संबंधी मामलों की असंगतियों को दूर किया गया।
6. भा.कृ.अनु.प. के पत्र दिनांक 24.11.95 द्वारा ए.आर.एस.एस. मंच (फोरम) को औपचारिक मान्यता प्रदान की गई।
7. विभिन्न संस्थानों के ए.आर.एस. वैज्ञानिकों के सभी वर्गों की संवर्ग संख्या की समीक्षा की गई और शासी निकास की स्वीकृति से पुनःनिर्धारित किया गया। इससे संबंधित आवश्यक कार्यकारी आदेश जारी किया जा रहा है।
8. भा.कृ.अनु.प. के पत्र दिनांक 10.1.95 द्वारा पी.एच.डी./एम.फिल. आदि उपाधि के साथ ए.आर.एस. में पदभार ग्रहण करने वाले वैज्ञानिकों के लिए दिनांक 1.1.86 का या इसके बाद 3/1 अग्रिम वेतनवृद्धि देने के प्रावधान की असंगतियों को दूर किया गया।
9. दिनांक 19.1.95 के पत्र द्वारा सामान्य अनुदेश जारी किये गये थे, जिसमें संस्थानों के सभी निदेशकों को अपने वैज्ञानिकों (बिना पी.एच.डी.) को उनकी उज्ज्वल जीवनवृत्ति के लिए पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त करने हेतु अध्ययन अवकाश पर जाने को प्रोत्साहित किया गया था।
10. दिनांक 2.2.95 के पत्र द्वारा ए.आर.एस. के वैज्ञानिकों की जीवनवृत्ति उन्नयन योजना के अंतर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समितियों से बाहरी विशेषज्ञों को हटाया गया।
11. ए.आर.एस. के वैज्ञानिकों के संशोधित वेतनमान में वेतनवृद्धियों की अलग-अलग तिथियों वाली असंगतियों को दूर किया गया।
12. दिनांक 6.2.95 के पत्र द्वारा ए.आर.एस. के वैज्ञानिकों और अनुसंधान प्रबंध के पदों की भर्ती के लिए संशोधित मानक (माडल) योग्यताएं जारी की गईं। संशोधित योग्यता में वरिष्ठ वैज्ञानिकों को भी विभागाध्यक्ष/क्षेत्रीय केन्द्र प्रायोजना समन्वयक आदि जैसे पदों के लिए पात्र बनाया गया है। इसमें अनुसंधान प्रबंध पदों के लिए आयु सीमा को पूर्णतया हटा लिया गया है।
13. दिनांक 14.3.95 के पत्र द्वारा ए.आर.एस. के वैज्ञानिकों की पुरानी योग्यता आधारित पदोन्नति योजना में असंगतियों को दूर करने के लिए गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया।
14. दिनांक 1.1.86 को या इसके बाद लेकिन 17.9.90 से पहले एस-2 और एस-3 पदों में क्रमशः रु. 3700-5700 और रु. 4500-7300 के पूर्व संशोधित वेतनमानों में उनकी सेवाओं की अवधि को नजरअंदाज करते हुए सभी वैज्ञानिकों की सीधी भर्ती। इस प्रकार भा.कृ.अनु.प. के पत्र दिनांक 15.3.95 द्वारा प्रमुख असंगतियों को दूर किया गया।
15. दिनांक 31.3.95 के पत्र द्वारा ए.आर.एस. के वैज्ञानिकों और भा.कृ.अनु.प. के अन्य सभी कर्मचारियों की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (ए.ए.आर.)/वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ए.सी.आर.) को स्वीकार करने, रिपोर्ट लिखने और समीक्षा करने वाले अधिकारियों को निर्धारित करने हेतु संशोधित निर्देश जारी किये गये।

तकनीकी सेवाएं

भा.कृ.अनु.प. के कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों की शिकायतों को ठीक करने के लिए तकनीकी सेवाओं में निम्नलिखित ढांचागत सुधार किये गये हैं:

1. डा. भट्ट समिति की रिपोर्ट की जांच की गई और अनेक सिफारिशों पर कार्यवाही की गई।
2. टी-1-3 वर्ग में प्रगतिरोध की समस्या को हल करने के लिए 1 और 2 श्रेणियों के बीच श्रेणी सीमा को दूर किया गया।
3. श्रेणी 2 में प्रगतिरोध को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि जिन तकनीकी कर्मचारियों की टी-5 वर्ग में कम से कम 12 वर्ष की सेवा है उन्हें टी-6 वर्ग में पदोन्नत कर दिया जाये।

4. ए.आर.एस. के नियमन का लाभ तकनीकी कर्मचारियों पर भी लागू किया गया है।
5. ए.आर.एस. की परीक्षा में बैठने के लिए तकनीकी कर्मचारियों को 45 वर्ष की आयु सीमा तक छूट दी गयी है।
6. दिनांक 1.1.95 से 5 वर्ष पूरे होने पर 5 वर्षीय मूल्यांकन पर आधारित योग्यता पदोन्नति को लागू किया गया है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों का आरक्षण

डेयर

डेयर में 'क' वर्ग के पदों की सभी नियुक्तियां केन्द्रीय कर्मचारी भर्ती योजना के अंतर्गत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा की जाती है। 'ख' वर्ग के पदों की नियुक्तियां कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा की जाती हैं, जिसके साथ डेयर का एक सामूहिक संवर्ग है।

कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग का संबंध केवल 'घ' वर्ग के पदों को भरना है। ऐसे 6 पद हैं, जिसमें 5 चपरासी और 1 दफ्तरी के हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 'घ' वर्ग के पदों को भरते समय पदों के आरक्षण से संबंधित आदेशों और अनुदेशों के रोस्टर को ध्यान में रखा जाता है।

भा.कृ.अनु.प.

रिक्तियों को भरने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु निम्नलिखित आरक्षण लागू हैं। यह आरक्षण भा.कृ.अनु.प. और इसके अनुसंधान संस्थानों और केन्द्रों पर लागू किये गये हैं। भा.कृ. अनु.प. मुख्यालय और इसके अनुसंधान संस्थानों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों/प्रायोजना निदेशालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का प्रतिशत यहां दिया जा रहा है।

आरक्षण के संबंध में अनुसूचित जाति वर्ग की स्थिति वैज्ञानिक पदों के अलावा सभी में संतोषजनक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वैज्ञानिक पद, जो अनुसंधान को चलाने अथवा अनुसंधान के आयोजन, मार्गदर्शन और निर्देशन के लिए है, को आरक्षण से बाहर रखा गया है। भा.कृ.अनु.प. ने सरकार की सामाजिक प्रतिबद्धता का अनुसरण करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किये हैं, लेकिन सभी रिक्तियों को भरना संभव नहीं है, क्योंकि व्यवस्था में प्रत्येक वैज्ञानिक पद के लिए एम.एस.सी. और पी.एच.डी. स्तरों पर विशेष योग्यताएं जरूरी होती हैं, साथ ही कार्य से संबंधित विशेष अनुभव भी जरूरी है। इसलिए यह वांछित नहीं है कि उन वैज्ञानिक पदों को काफी समय तक खाली रखा जाये और अनुसंधान में बाधा पहुंचे।

आरक्षण लागू		
पदों की श्रेणी	अ.जाति (प्रश.)	अ.जनजाति (प्र.श.)
वैज्ञानिक	6.25	0.60
तकनीकी	17.9	5.0
प्रशासनिक	1.7	5.6
सहायक कर्मचारी	25.2	4.9
सहायक	0.16	6.5

भर्ती	अ.जाति	अ.जनजाति
अखिल भारतीय परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती		
(क) खुली प्रतियोगिता द्वारा	15 प्र.श.	7.5 प्र.श.
(ख) उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त	16.6 प्र.श.	7.5 प्र.श.
(ग) वर्ग और (घ) वर्ग (श्रेणी 3 व 4) के पदों की सीधी भर्ती, जिनमें मुख्यतः क्षेत्रीय अथवा स्थानीय उम्मीदवार होते हैं	संबंधित राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश में अ.जाति और अ.जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में।	

भा.कृ.अनु.प. और इसके अनुसंधान संस्थानों में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या का विवरण परिशिष्ट 17 में दिया गया है।

हिंदी का प्रगामी प्रयोग

डेयर

डेयर की एक हिंदी यूनिट है, जिसमें एक सहायक निदेशक (राजभाषा), एक कनिष्ठ हिंदी अनुवादक और एक हिंदी टंकक सम्मिलित है। संयुक्त सचिव, डेयर की अध्यक्षता में डेयर और भा. कृ.अनु.प. की एक संयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्य करती है। प्रत्येक त्रैमासिक अवधि के अंत में यह समिति हिंदी के प्रयोग पर रिपोर्टों की समीक्षा करती है और हिंदी के प्रगामी प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों पर विचार-विमर्श करती है। वर्ष 1995-96 के दौरान इस समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं।

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के तहत वर्ष 1994-95 के लिए 'इन्दिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना' के अंतर्गत इस विभाग को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस गौरवपूर्ण पुरस्कार को डा. आर.एस. परोदा, सचिव डेयर/महानिदेशक, भा.कृ.अनु.प. द्वारा 14 सितम्बर, 1995 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति से ग्रहण किया गया था।

भारत के राष्ट्रपति महामहिम डा. शंकर दयाल शर्मा से भा.कृ.अनु.प. के महानिदेशक/कृ.अनु. और शि. वि. के सचिव डा. आर.एस. परोदा इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार का द्वितीय पुरस्कार ग्रहण करते हुये।

भा.कृ.अनु.परिषद

परिषद में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी वर्ष 1995-96 की प्रगति रिपोर्ट इस प्रकार है:

1. कृ.अनु.शि. विभाग व भा.कृ.अनु.परिषद को हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य के लिए राजभाषा विभाग द्वारा 'इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड' दिया जानाः राजभाषा विभाग ने वर्ष 1994-95 में हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को 'इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड' का द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया। उक्त पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति जी ने परिषद के महानिदेशक महोदय/विभाग के सचिव महोदय को प्रदान किया।
2. राजभाषा अधिनियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत भारत सरकार के गजट में अधिसूचित करनाः वर्ष 1995-96 में चार संस्थानों/केन्द्रों नामतः राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र, हिसार; केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान का वेरावल अनुसंधान केन्द्र, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल और राष्ट्रीय ठंडा पानी मछली पालन अनुसंधान केन्द्र, हल्द्वानी को उक्त नियम के अंतर्गत भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। इस तरह अब तक कुल 25 संस्थानों/केन्द्रों को गजट में अधिसूचित किया जा चुका है।

   इस प्रकार अधिसूचित संस्थानों में से पूसा स्थित राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो ने सात, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान ने पांच, करनाल स्थित केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ने आठ तथा भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान ने चार अनुभागों को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत हिन्दी में कार्य करने के लिए विनिर्दिष्ट किया है।
3. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का नियमित रूप से आयोजनः संयुक्त सचिव, कृ.अनु.शि.वि. तथा सचिव, भा.कृ.अनु. परिषद की अध्यक्षता में गठित विभाग तथा परिषद की संयुक्त रा.भा.कार्या. समिति की तिमाही बैठकों का नियमित रूप से आयोजन किया गया। ऐसी समितियों के गठन के लिए जारी परिषद के आदेश के फलस्वरूप अब तक 50 संस्थानों आदि में रा.भा.कार्या. समितियों का गठन कर लिया गया है तथा उनकी नियमित बैठकें हो रही हैं। शेष संस्थानों से भी ऐसी समितियां बनाने का अनुरोध किया गया है।
4. हिन्दी न जानने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों, अंग्रेजी टाइपिस्टों और आशुलिपिकों को हिन्दी, हिन्दी टाइप और हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए रोस्टर तैयार किया गया है और उन्हें क्रमशः

प्रशिक्षण के लिए प्रतिवर्ष होने वाली कक्षाओं के लिए नामित किया जाता है।

5. 'बदलते परिवेश में कृषि अनुसंधान एवं विकास के नये आयाम' विषय पर हिन्दी में राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी का आयोजनः- उक्त विषय पर परिषद में दिनांक 29 से 31 दिसम्बर, 1995 तक एक त्रिदिवसीय राष्ट्रीय स्तर की हिन्दी संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने कृषि विज्ञान तथा संबंधित विषयों पर मूल रूप से तैयार किये गए शोध पत्र हिन्दी में प्रस्तुत किये। इस संगोष्ठी में परिषद के महानिदेशक, कुछ उपमहानिदेशकों, कुछ सहायक महानिदेशकों, संस्थानों/निदेशालयों/केन्द्रों के निदेशकों के स्तर के 38 वैज्ञानिकों ने अपने शोध पत्र हिन्दी में प्रस्तुत किये।

6. भा.कृ.अनु.प. तथा इसके संस्थानों में हिन्दी दिवस/सप्ताह का आयोजन: परिषद तथा उसके संस्थानों में पिछले वर्षों की तरह गत वर्ष भी 14 से 20 सितम्बर, 1995 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माननीय कृषि मंत्री जी का प्रेरणाप्रद मुद्रित संदेश जारी किया गया। माननीय कृषि मंत्री जी ने अपने संदेश में परिषद के अधिकारियों तथा कर्मचारियों से राजभाषा नीति के कारगर अमल तथा इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की।

7. हिन्दी में सबसे ज्यादा कार्य करने पर पुरस्कार: परिषद् में वर्ष 1994-95 के दौरान अपना सबसे ज्यादा कार्य हिन्दी में करने पर 5 कर्मचारियों को क्रमशः प्रथम और द्वितीय पुरस्कार स्वरूप 500/- रुपये के दो तथा 300/- रुपये के तीन पुरस्कार प्रदान किये गए। उन्हें ये पुरस्कार दिनांक 12 जनवरी, 1996 को परिषद मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में दिये गए।

8. हिन्दी में सरकारी काम-काज करने में आने वाली झिझक को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजनः- परिषद में कार्यरत कर्मचरियों को अपना सरकारी काम-काज हिन्दी में करने में आने वाली झिझक को दूर करने के लिए दिनांक 11-12 जनवरी, 1996 को दो दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 30 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।

9. हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी को वर्ष 1995 में लगातार तीसरी बार हैदराबाद में स्थित नगर रा.भा. कार्या. समिति द्वारा उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है।

10. बम्बई, स्थित केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान द्वारा अपने संस्थान तथा क्षेत्रीय केन्द्रों में कार्यरत अहिन्दी भाषी छात्रों द्वारा अपना शोध निबंध हिन्दी में प्रस्तुत करने पर उन्हें 500/-, 300/- और 200/- रुपये के क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

11. कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मंडल की सभी परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम का विकल्प दिया गया। मंडल द्वारा वर्ष 1995 में कृषि अनुसंधान सेवा (ए.आर.एस.) की परीक्षा में सभी अनिवार्य और व्यावसायिक प्रश्न-पत्र हिन्दी में भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। ऐसा परिषद के इतिहास में पहली बार हुआ। इस प्रकार परिषद द्वारा ली जाने वाली सभी परीक्षाओं/साक्षात्कारों में परीक्षार्थियों को अंग्रेजी के अलावा हिन्दी माध्यम का विकल्प भी उपलब्ध करा दिया गया है।

सतर्कता

डेयर

कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सचिव (डेयर) मुख्य सतर्कता अधिकारी होता है। कृ.अनु.शि.वि. का निदेशक, सतर्कता निदेशक के रूप में कार्य करता है। सभी सतर्कता और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों का संचालन निदेशक द्वारा किया जाता है।

वर्तमान में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग से संबंधित कोई भी सतर्कता मामला लंबित नहीं है।

भा.कृ.अनु.प.

भा.कृ.अनु.प. के संबंध में सचिव, भा.कृ.अनु.प. और संयुक्त सचिव, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी की सहायता के लिए निदेशक (डेयर), जो निदेशक सतर्कता के रूप में कार्य करते हैं तथा अवर सचिव (सतर्कता) और डेस्क आफिसर (सतर्कता) भी हैं। वर्ष के दौरान 14 वैज्ञानिकों और 25 तकनीकी/प्रशासनिक श्रेणी के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गयी। इनमें से दो वैज्ञानिकों के मामले में हल्का दंड देकर निपटारा किया गया और एक मामले को समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा, पिछले वर्षों में शुरू किये गये 47 मामलों में से 4 मामलों में बड़ा दंड दिया गया और 18 मामलों में हल्का दंड वर्ष के दौरान दिया गया। 6 मामलों में दोष मुक्ति दी गयी और चार मामलों में दंड घटाया गया/चेतावनी दी गयी।

16 मामलों की नयी अपील/समीक्षा याचिकायें प्राप्त हुईं और गत वर्ष प्राप्त हुए 11 मामलों पर भी कार्यवाही शुरू की गयी। इन कुल मामलों में से 21 मामलों का निर्णय किया गया, जिसके फलस्वरूप 13 मामलों में दंड बढ़ाया गया, तीन मामलों में दंड घटाया गया और

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	मद	बजट अनुमान 1994-95	संशोधित अनुमान 1994-95	बजट अनुमान 1995-96
1.	गैर योजना (कृषि उत्पाद उपकर से प्राप्त राशि को छोड़कर)	184.80	203.55	221.57
2.	योजना	247.70	274.70	309.50
3.	कृषि उत्पाद उपकर से प्राप्त राशि	14.00	14.00	14.00
	योग (i से iii)	473.50	492.25	545.07

गैर योजना व्यय के लिए अतिरिक्त स्रोतों के रूप में उपलब्ध भा.कृ.अनु.प. के आंतरिक आय स्रोत का विवरण: (रु. करोड़ में)

	गैर-योजना व्यय के लिये आय स्रोत	बजट अनुमान 1994-95	संशोधित अनुमान 1994-95	बजट अनुमान 1995-96
1.	राजस्व से प्राप्त आय	10.50	10.50	11.50
	वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार एस.बी.आई. में अधिशेष राशि के लघुकालीन जमा पर ऋण से आय		2.30	
2.	ऋण और अग्रिम भुगतान की वसूली	4.00	4.00	5.00
	योग (1 से 2)	14.50	16.80	16.50

दो मामलों की छानबीन जारी की गयी। इसके अलावा, एक मामले में निलम्बन को रद्द कर दिया गया।

वित्तीय व्यय

डेयर

कृ.अनु.शिक्षा. विभाग का बजट अनुमान दो मुख्य शीर्ष जैसे- '3451' और '2415' के तहत आता है। शीर्ष 3451 के अंतर्गत सचिवालय व्यय किया जाता है। यद्यपि शीर्ष 2415 भा.कृ.अनु.प. को सहायता देने के लिए है। इसका एक घटक ऐसा है, जिसका संबंध अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से है, जिसे भा.कृ.अनु.प. को दिये जाने वाले अनुदान का भाग नहीं माना जाता है।

परिशिष्ट 3 में शीर्षों के अंतर्गत वित्तीय व्यय का विस्तृत विवरण दिया गया है।

भा.कृ.अनु.प.

मांग संख्या 3 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अनुरूप वित्तीय मंत्रालय ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को निम्नलिखित बजट अनुदान की स्वीकृति दी।

वर्ष 1995-96 के लिए 545.07 करोड़ रु. का कुल आबंटन किया गया, जो वर्ष 1994-95 के आबंटन से 71.57 करोड़ रु. अधिक है।

गैर योजना व्यय की पूर्ति करने के लिए भा.कृ.अनु.प. को अपने आंतरिक आय स्रोतों जैसे राजस्व आय और अग्रिम राशि तथा ऋण की वसूली से प्राप्त आय का उपयोग करने की स्वीकृति दी गयी है। गैर-योजना बजट में इनका प्रावधान रखा जाता है।

लेखा परीक्षा टिप्पणी

दिनांक 30.9.1995 को भा.कृ.अनु.प. के मुख्यालय और इसके 83 संस्थानों से संबंधित कुल 268 लेखा परीक्षा रिपोर्टों सहित 1469 परिच्छेद (पैरा) बकाया पाये गये। बकाया लेखा परीक्षा रिपोर्ट पैरा का क्षेत्रवार विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	क्षेत्र	संस्थान	लेखा परीक्षा रिपोर्टों की संख्या	पैरा
1.	पश्चिमी क्षेत्र	8	28	99
2.	दक्षिण क्षेत्र	26	86	256
3.	पूर्वी क्षेत्र	12	67	269
4.	उत्तरी क्षेत्र	37	107	845
	योग	83	288	1476

विभिन्न संस्थानों/एन.आर.सी./पी.डी. के निदेशकों और प्रायोजना निदेशकों से अनुरोध किया गया है कि वे लंबित लेखा परीक्षा रिपोर्टों/पैरा संबंधित मामलों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करें।

कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मंडल

भा.कृ.अनु.प.

1. कृषि अनुसंधान सेवा (ए.आर.एस.)/राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एन.ई.टी.)/वरिष्ठ अनुसंधान शिक्षावृत्ति (एस.आर.एफ.) परीक्षा-1994: ए.आर.एस./एन.ई.टी./एस.आर.एफ. परीक्षा-1994, जो 24 केन्द्रों पर 14-16 अक्तूबर, 1994 को हुई थी, का परिणाम मंडल द्वारा 16 जून, 1995 को घोषित कर दिया गया था। कुल 8,756 (7,917 सामान्य, 753 अनुसूचित जाति और 86 अनुसूचित जनजाति) उम्मीदवारों ने विभिन्न व्यावसायिक विषयों के लिए आवेदन किया, जिनमें से 4,266 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी। कृषि अनुसंधान सेवा की लिखित परीक्षा में 1,270 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए और इन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। दिनांक 2 मार्च, 1995 से 23 जून 1995 तक साक्षात्कार आयोजित किये गये। इसमें कुल (163 सामान्य, 47 अनुसूचित जाति, 12 अनुसूचित जनजाति और 88 पिछड़ी जाति) उम्मीदवारों को कृषि अनुसंधान सेवा में नियुक्ति के लिए सिफारिश की गयी।
   राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में 1,129 उम्मीदवार योग्य पाये गये। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में योग्य पाये गये सभी उम्मीदवारों को एन.ई.टी. प्रमाणपत्र जारी किये गये। एस.आर.एफ. परीक्षा में उत्तीर्ण 537 उम्मीदवारों की एक सूची उपमहानिदेशक (शिक्षा) के पास आगे कार्यवाही करने के लिए भेजी गयी।
2. कृषि अनुसंधान सेवा (ए.आर.एस.)/राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एन.ई.टी.) वरिष्ठ अनुसंधान शिक्षावृत्ति (एस.आर.एफ.) परीक्षा 1995: ए.आर.एस./एन.ई.टी./एस.आर.एफ. परीक्षा, बोर्ड द्वारा 5-7 अक्तूबर 1995 को 24 केन्द्रों पर ली गयी। इसमें कुल 9,272 उम्मीदवारों ने विभिन्न व्यावसायिक विषयों में आवेदन किया। इनमें से 5,339 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी। परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की जा रही है और एन.ई.टी. परीक्षा का परिणाम जल्दी ही घोषित कर दिया जायेगा। कृषि अनुसंधान सेवा का परिणाम बाद में घोषित किया जायेगा, क्योंकि भा.कृ.अनु.प. से रिक्त पदों की स्थिति प्राप्त नहीं हुई है। ए.आर.एस./एन.ई.टी./एस.आर.एफ. की परीक्षा के प्रश्नपत्रों को मंडल द्वारा पहली बार अंग्रेजी-हिंदी (द्विभाषी) दोनों में तैयार कराया गया।
3. अनुभाग अधिकारी और सहायक पदों की नियुक्ति के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा: भा.कृ.अनु.प. मुख्यालय में अनुभाग अधिकारी के 14 पदों और सहायकों के 15 पदों के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, मंडल द्वारा 6 केन्द्रों पर 27 से 29 दिसंबर 1995 तक ली गयी। इसमें कुल 9,879 उम्मीदवारों ने आवेदन किया और केवल 3,287 उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित हुए।
4. भा.कृ.अनु.प. मुख्यालय में पी.एस. (स्टेनोग्राफर ग्रेड-II) की नियुक्ति के लिए, मंडल द्वारा एक सीमित विभागीय परीक्षा 24 और 25 जुलाई, 1995 को ली गयी। इसमें कुल 32 उम्मीदवारों ने आवेदन किया और 28 उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित हुए।

विज्ञापन द्वारा सीधी नियुक्ति

100 पदों की सीधी नियुक्ति के लिए साक्षात्कार किये गये और इनकी सिफारिशें भा.कृ.अनु.प. को भेज दी गयीं। इसमें 94 वैज्ञानिक पद, 4 तकनीक पद और 2 सहायक सेवा के पद शामिल हैं।

मूल्यांकन/समीक्षा मूल्यांकन/इंडक्शन

विभिन्न श्रेणियों के वैज्ञानिकों के 55 मामलों का मूल्याकन किया गया। इसमें से 6 मामले एस ग्रेड, 10 मामले एस-1 ग्रेड, 37 मामले एस-2 ग्रेड, एक मामला एस-3 ग्रेड और एक मामला अनुसंधान प्रबंध पद का था।

आलोच्य वर्ष के दौरान ए.आर.एस. में इंडक्शन के लिये आर.एम.एस. ग्रेड के 2 मामलों पर कार्यवाही की गयी और इंडक्शन के लिए सिफारिश की गयी। मूल्यांकन के एक मामले की समीक्षा की गयी।

विज्ञापनों के जरिये रिक्तियों की अधिसूचना

रिपोर्ट की अवधि के दौरान 215 पदों के लिए 4 विज्ञापन जारी किये गये। इनमें से 189 अनुसंधान प्रबंध पदों, 14 प्रधान वैज्ञानिक पदों, 4 वरिष्ठ वैज्ञानिक पदों, एक सहायक पद और 7 तकनीकी पदों के लिए थे। इन विज्ञापनों के संदर्भ में प्राप्त आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की जा रही है और साक्षात्कार आयोजित किये जा रहे हैं।

अन्य गतिविधियां

पदोन्नति/नियुक्ति से संबंधित मामलों में मंडल लगातार भा.कृ.अनु.प. को सलाह भेजता रहता है।

पुरस्कार 1995-96

भा.कृ.अनु.प.

दिनांक एक जुलाई, 1995 को भा.कृ.अनु.प. के पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में 16 वैज्ञानिकों और उनके

51 सहयोगियों को भा.कृ.अनु.प. के विभिन्न पुरस्कार प्रदान किये गये। जलसंरक्षण और बारानी कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए पहली बार वसन्तराव नायक पुरस्कार, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ के अनुसंधान निदेशक और उनके दल को दिया गया। इन वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार होलिस्टिक प्रौद्योगिकियां विकसित करने के लिए प्रदान किया गया। ये प्रौद्योगिकियां उत्तरी कर्नाटक के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए काफी कारगर साबित होगी।

तीन पुरस्कार (जनजाति क्षेत्रों के लिए फखरुद्दीन अली अहमद पुरस्कार) उन वैज्ञानिकों को प्रदान किये गये, जिन्होंने उत्तर-पूर्वी राज्यों, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के जनजातीय लोगों के लिए कार्य किया था। विपरीत परिस्थितियों और सुविधाविहीन माहौल में आजीवन कार्य करने के एवज में उन्हें यह सम्मान दिया गया। राष्ट्र ने इन पुरस्कारों के जरिये, उनके उल्लेखनीय योगदान को मान्यता प्रदान की है।

तीन पुरस्कार (हरिओम आश्रम पुरस्कार) ज्वार की फसल में आनुवंशिक सुधार (एन.आर.सी. सोरघम, हैदराबाद) के लिए, विभिन्न कंदीय फसलों का स्टार्च लक्षण (सी.टी.सी.आर.आई., तिरुअनंतपुरम) के लिए और महंगे स्रोत जैसे पानी, नाइट्रोजनधारी उर्वरक तथा फसल अवशेषों की कमी के प्राकृतिक स्रोत प्रबंध (पी.ए.यू., लुधियाना) के लिए प्रदान किये गये।

भा.कृ.अनु.प. के आठ टीम पुरस्कारों में से दो पुरस्कार पहली बार, भा.कृ.अनु.प. के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान) में स्थित संस्थान को फसल सुधार और पशु विज्ञान में अनुसंधान के क्षेत्र में प्रदान किये गये। इस संस्थान की सन् 1975 में उपकेन्द्र के रूप में शुरूआत की गयी थी और सन् 1978 में इसे संस्थान का दर्जा दिया गया।

भा.कृ.अनु.प. के आठ टीम पुरस्कार देश के सभी चारों कोनों में प्रदान किये गये। टीम पुरस्कार देश के उत्तरी-पूर्वी, पूर्वी-उत्तरी, उत्तरी-पश्चिमी, पश्चिम-दक्षिण और मध्य भाग को प्रदान किये गये। सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रथा सारे देश में फैल गयी हैं।

वर्ष 1995-96 के दौरान प्रतिष्ठित रफी अहमद किदवई पुरस्कार की राशि 50,000 रु. से बढ़ाकर 1,00,000 रु. कर दी गयी और फखरुद्दीन अली अहमद पुरस्कार की राशि रु. 15,000 से बढ़ाकर रु. 50,000 कर दी गयी।

वर्ष 1995-96 के दौरान 6 नये पुरस्कारों की शुरूआत की गयी। ये पुरस्कार हैं: उत्कृष्ट संस्थान पुरस्कार, उत्कृष्ट कृषि विज्ञान केन्द्र पुरस्कार, उत्कृष्ट प्रसार कार्यकर्ता पुरस्कार, उत्कृष्ट अध्यापक पुरस्कार, उत्कृष्ट महिला कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार और भा.कृ.अनु.प. युवा वैज्ञानिक पुरस्कार।

संसदीय स्थायी समिति

कृषि (अध्ययन दल-1) पर संसदीय स्थायी समिति ने अक्तूबर, 1995 के दौरान भा.कृ.अनु.प. के निम्नलिखित संस्थानों में जाकर उनके कार्य का जायजा लेने के लिए अध्ययन दौरा किया।

(1) केन्द्रीय कपास अनुसंधान प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई
(2) केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, तिरुअनंतपुरम/कोचीन, केरल और
(3) केन्द्रीय समुद्री मछली पालन अनुसंधान संस्थान, कन्याकुमारी

कृषि पर संसदीय स्थायी समिति के दूसरे अध्ययन दल ने अक्तूबर 1995 के दौरान भा.कृ.अनु.प. के निम्नलिखित संस्थानों में उनके कार्य का जायजा लेने के लिए अध्ययन दौरा किया।

(1) केंद्रीय अंतःस्थलीय प्रग्रहण मछली पालन अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर, पश्चिम बंगाल।
(2) केंद्रीय जल जीवजन्तु पालन अनुसंधान संस्थान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पोर्टब्लेयर (अंडमान)
(3) केंद्रीय मीठा जल मछली पालन संस्थान, उड़ीसा और
(4) केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, संतोषनगर, हैदराबाद (आंध्रप्रदेश)

सुधार प्रक्रिया 1995-96

शासी निकास के सदस्यों, विशेष कर सांसदों के सक्रिय सहयोग से भा.कृ.अनु.प. के महानिदेशक तथा कृ.अनु. शिक्षा वि. के सचिव, भा.कृ.अनु.प. की नवीनीकरण प्रक्रिया में सफल हुए। वर्ष 1995 के दौरान सापेक्ष महत्व वाली योजना के सूचीकरण की प्रक्रिया, कृषि अनुसंधान प्रणाली की स्थापना, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी परियोजना तैयार करना, कृषि मानव संसाधन विकास कार्यक्रम की शुरुआत, प्रौद्योगिकी मूल्यांकन का संचालन, संस्थान-ग्राम सम्पर्क कार्यक्रम के माध्यम से हस्तान्तरण और सुधार, सब्जी वाली फसलों के संकर अनुसंधान को बढ़ावा, वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रशासनिक सेवाओं में सुधार, अनुसंधान प्रबंध पदों की भर्ती के लिए कार्यवाही, संबंधित संसाधनों के संचारीकरण की शुरूआत, विकेन्द्रीकरण और द्विभाजन का निराकरण, कार्य अध्ययन, डा. जीचवी.के. राव समिति की रिपोर्ट के क्रियान्वयन के लिए प्रकोष्ठ की व्यवस्था, स्थायी नीति नियोजन समिति का पुनर्गठन और पुनरुद्धार, संस्थानगत स्तर पर अनुसंधान सलाहकार समिति और प्रबंध समितियों का गठन, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र और कृषि अनुसंधान भवन फेज-II के लिए योजना बनाना, सभी संस्थानों की संवर्ग क्षमता का निर्धारण, तदर्थ श्रमिकों को अस्थाई दर्जा देना,

श्रेणी का समापन और पुरस्कार पद्धति पुनर्नवीकरण आदि हैं। हमें पक्का विश्वास है कि हाल ही में हुए विकास कार्यों कट भविष्य में हमारे तंत्र की कार्य क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव । इन सभी उद्यमों में भा.कृ.अनु.प. सोसायटी के अध्यक्ष ने अपना समर्थन और मार्गदर्शन दिया।

छले एक वर्ष के दौरान कार्य करने की परिस्थितियों और ारियों की सेवा स्थितियों में सुधार करने के विचार से भारतीय अनुसंधान परिषद ने अपनी कार्यप्रणाली में कई सुधारों की आत की है। जिनमें से कुछ सुधार इस प्रकार हैं: वैज्ञानिक और नीकी स्टाफ के लिए अध्ययन अवकाश नियमों को उदार बनाया , प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये और वैज्ञानिक तथा नीकी स्टाफ की सेवा स्थितियों में असंगतियों का निराकरण किया ा। नये पुरस्कारों की शुरूआत की गयी और परिषद के पुरस्कारों राशि में वृद्धि की गयी।

कार्य परिस्थितियों में सुधार के लिए परिषद ने कई नये कार्यों की रूआत की है। बहुउद्देशीय नीति के एक घटक के रूप में सबसे हले भविष्य के लिए एक बेहतर योजना बनायी गयी है। तदनुसार न् 2020 तक अनुसंधान की सापेक्ष महत्व की योजना बनाने के ाए परिषद ने अनुसंधान संस्थानों, केन्द्रों, ब्यूरो और निदेशालयों के ध्यक्षों से आह्वान किया है। भा.कृ.अनु.प. के मुख्यालय में नीति और भविष्य नियोजन एकक की स्थापना की गयी और यह एकक भविष्य नियोजन सूचीकरण और प्राथमिकता तय करने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ायेगी।

कृषि शिक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास परियोजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। परियोजना के तहत रोजगार की आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में मापदंड और मानक निर्धारित करने के लिए भा.कृ.अनु.प. की क्षमताओं का उपयोग किया जायेगा। संकाय परिवर्तन, सेमीनार में भागीदारी, विद्यार्थियों का स्थापन और विचार विनिमय भी इसमें शामिल है। प्रत्यायन मंडल का गठन करना परिषद की दूसरी महान उपलब्धि है। प्रत्यायन मंडल देश में कृषि शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने में मदद करेगा।

युवा वैज्ञानिकों में प्रशिक्षण कार्यक्रम के नवीनीकरण के लिए परिषद ने कई उपाय किये हैं श्रेष्ठ योग्यता वाले वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए, विभिन्न पदों के लिए योग्यताओं की शर्तों में अधिक छूट दी गयी है। सभी संस्थानों के संवर्ग संख्या की समीक्षा की गयी और संशोधित संवर्ग संख्या निश्चित की गई है।

संचार स्रोतों की खाई को पाटने के लिए आई.सी.ए.आर. रिपोर्टर और आई.सी.ए.आर. न्यूज के प्रकाशन को बहाल किया गया है। सम्पूर्ण प्रकाशन और सूचना विभाग को अधिक दक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए इसका पुनर्गठन किया जा रहा है।

उत्तरदायित्व पर जोर देने के विचार से मुख्यालय और संस्थानों दोनों स्तरों पर अधिकारों का विकेन्द्रीकरण किया गया है।

निर्माण कार्य

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पूसा परिसर, नई दिल्ली में दो बड़े निर्माण कार्य आरंभ कराये हैं। इससे मुख्यालय को आवश्यक संरचना उपलब्ध होगी जोकि कृषि अनुसंधान और शिक्षा की वर्तमान परिदृश्य में बढ़ती हुई गतिविधियों के लिए जरूरी है। इन दो निर्माण कार्यों की मुख्य विशेषताएं हैं:

1. राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र

इस भवन में (1) सभागार (2) सिम्पोसिया हाल (3) संग्रहालय (4) कृषि अनुसंधान समितियों और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं (सी.जी.आई.ए.आर.) के कार्यालय तथा (5) राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी का कार्यालय, गेस्ट हाउस कैफेटेरिया और आवासीय ब्लाक।

यह भवन समूह टोडापुर गांव, नई दिल्ली के सामने डा. कृष्णन मार्ग पर भा.कृ.अनु.सं. के परिसर में लगभग 8.1 हैक्टर में फैला हुआ है। कुल निर्मित क्षेत्र लगभग 30,000 मी. होगा। इसके पूरे निर्माण का एकमुश्त ठेका मैसर्स इरकान इंटरनेशनल लि. को दिया गया है।

2. कृषि अनुसंधान भवन-2

यह भवन वर्तमान कृषि अनु. भवन-1 के एकदम पीछे 7 मंजिला भवन होगा जिसमें तहखाना भी शामिल है। इसका क्षेत्रफल लगभग 0.78 हैक्टर है। कुल निर्मित क्षेत्र लगभग 8,500 मी. होगा।

इसका एकमुश्त ठेका राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि. (एन.बी.सी.सी.) को दिया गया है।

राजेन्द्र परोदा

(राजेन्द्र सिंह परोदा)